

CIRCULAR No: PFRDA/2023/11/Fintech/02

16 March, 2023

To,

All NPS Stake Holders & Account Aggregators

Subject: Financial Information (FI) Types for Balances under National Pension System (NPS)

The Account Aggregators (AA) are RBI regulated NBFCs that empowers the customers and Investors of financial assets to retrieve, collect their financial information from Financial Information Providers (FIP) based on their *explicit consent*. The financial information thus shared through the AA is not to be stored by the AA and it shall not be the property of the AA. The information is not to be used in any other manner except for the purpose of providing it to the customer or Financial Information User (FIU) with respect to customer's explicit consent. Thus, the role of AA confined to *consolidation, organization, presentation of the financial information* to the customer or FIU.

2. PFRDA vide its circular dt 30 September 2022 issued guidelines for empowering NPS Subscribers to port their NPS data through AA Framework where Central Record Keeping Agencies (CRAs) appointed by PFRDA act as FIP.

3. In order to ensure secured and seamless movement of data across Financial Institutions across Financial Sector Regulators under different IT systems, a set of core technical specifications for the participants of the AA ecosystem are framed by Reserve Bank Information Technology Private Limited (ReBIT).

4. PFRDA is pleased to inform that FI types for Balances under NPS published on ReBIT website under AA framework under the link <https://api.rebit.org.in/schema>. These FI Types shall be the basis of information exchanges regarding Balances under NPS that could be requested by FIU through AA from CRAs as per API specifications defined by ReBIT.

5. For ready reference, please see the Annexure, which provides information about the role of CRAs as Financial Information Providers (FIP) and other entities under the AA framework.

AA related applications are to be made bilingual for wider reach and mass adoption catering to the needs of beneficiaries across geographies and to bring inclusivity.

Yours sincerely

Chief General Manager

Role of CRAs as Financial Information Provider (FIP) & other entities under AA framework

1. CRAs shall share accumulated corpus of NPS Subscriber with an AA on being presented a valid consent artefact by an AA.
2. Post receipt of consent artefact, the CRAs shall verify:
 - (a) validity of consent
 - (b) specified dates and usage; and
 - (c) the credentials of the AA
3. CRAs shall digitally sign the information related to NPS and securely transmit to the AA as per the terms of the consent artefact.
4. The information has to be provided on real time.
5. CRAs shall enable the following for the secured data flow,
 - a. Implement interfaces that will allow an AA to submit consent artefacts and authenticate.
 - b. Adopt means to verify the consent including digital signatures if any, contained in the consent artefact;
 - c. Digitally sign the NPS information that is shared by them
 - d. Maintains the log of all information sharing requests along with the actions performed and submit the same to the AA.
6. All regulated entities, which act under AA framework including CRAs, have to build IT systems and adopt to the technical specifications published by ReBIT, as updated from time to time.
7. It shall be the responsibility of the NBFC-AA to ensure that its IT systems have all features necessary to carry out its functions strictly in conformity with the NBFC-AA Master Directions as updated from time to time issued by RBI.

परिपत्र सं. : पीएफआरडीए/2023/11/फ़िनटेक/02

16 मार्च, 2023

प्रति,

सभी हितधारक और अकाउन्ट एग्रीगेटर

विषय : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत शेषराशि के लिए वित्तीय सूचना (FI) प्रकार

अकाउन्ट एग्रीगेटर्स (AA) आरबीआई विनियमित एनबीएफसी हैं जो वित्तीय परिसंपत्तियों के ग्राहकों और निवेशकों को उनकी स्पष्ट सहमति के आधार पर वित्तीय सूचना प्रदाताओं (FIP) से वित्तीय जानकारी प्राप्त करने और उन्हें एकत्र करने का अधिकार देते हैं। इस प्रकार AA के माध्यम से साझा की गई वित्तीय जानकारी AA द्वारा संग्रहीत नहीं की जाती है अतः यह AA की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। इन सूचनाओं को ग्राहक या वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (FIU) तक उनकी स्पष्ट सहमति के बाद प्रदान करने के उद्देश्य के अलावा किसी अन्य तरीके से उपयोग नहीं किया जाना है। इस प्रकार AA की भूमिका वित्तीय सूचना के समेकन, संगठन तथा ग्राहक या एफआईयू को प्रस्तुतिकरण तक ही सीमित है।

2. पीएफआरडीए ने दिनांक 30 सितंबर 2022 के अपने परिपत्र के माध्यम से एनपीएस अभिदाताओं को अकाउन्ट एग्रीगेटर (AA) फ्रेमवर्क के माध्यम से अपने एनपीएस डेटा को पोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। इस फ्रेमवर्क में पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण (CRA) को वित्तीय सूचना प्रदाता (FIP) के रूप में कार्य करना है।

3. विभिन्न आईटी प्रणालियों के तहत वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों की बीच विभिन्न वित्तीय संस्थानों में डेटा के सुरक्षित और निर्बाध संचार को सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (ReBIT) द्वारा AA तंत्र के प्रतिभागियों के लिए प्रमुख तकनीकी विनिर्देशों का एक सेट तैयार किया गया है।

4. पीएफआरडीए द्वारा यह सूचित किया जाता है कि एनपीएस के तहत शेषराशि हेतु वित्तीय सूचना (FI) प्रकार को ReBIT की वेबसाइट पर अकाउन्ट एग्रीगेटर (AA) फ्रेमवर्क के तहत निम्नलिखित लिंक पर प्रकाशित किया गया है - <https://api.rebit.org.in/schema>

ये FI प्रकार एनपीएस के तहत शेषराशि के बारे में सूचना के आदान-प्रदान का आधार होंगे, जिन्हें FIU के जरिए ReBIT द्वारा परिभाषित API विनिर्देशों के अनुसार CRA से AA के माध्यम से अनुरोध किया जा सकता है।

5. तत्काल सन्दर्भ हेतु कृपया अनुलग्नक देखें। इसमें AA संरचना के तहत वित्तीय सूचना प्रदाता के तौर पर CRA और अन्य संस्थाओं के भूमिका की सूचना दी गई है।

विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में लाभार्थियों की जरूरतों को पूरा करने हेतु व्यापक पहुंच और बड़े पैमाने पर इसे अपनाए जाने के लिए और समावेशिता लाने के लिए AA से जुड़े अप्लिकेशन को द्विभाषी बनाया जाना है।

भवदीय,

मुख्य महाप्रबंधक

AA संरचना के तहत वित्तीय सूचना प्रदाता (FIP) के रूप में CRA और अन्य संस्थाओं की भूमिका

1. सीआरए एनपीएस अभिदाताओं के संचित कोष को AA द्वारा वैध सहमति प्रस्तुत किए जाने पर AA के साथ साझा करेगा।
2. सहमति की प्राप्ति के बाद, सीआरए द्वारा निम्नलिखित का सत्यापन किया जाएगा :
 - (a). सहमति की वैधता
 - (b). निर्दिष्ट तिथियां और उपयोग ; तथा
 - (c). AA के क्रेडेंशियल
3. CRA द्वारा एनपीएस से संबंधित जानकारी पर डिजिटल हस्ताक्षर किया जाएगा और सहमति की शर्तों के अनुसार उसे सुरक्षित रूप AA को भेजा जाएगा।
4. वास्तविक समय पर सूचना प्रदान की जाएगी।
5. CRA सुरक्षित डेटा प्रवाह के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं को प्रारम्भ करेंगे -
 - a. इंटरफेस लागू करना जो AA द्वारा सहमति प्रस्तुत करने और प्रमाणित करने की अनुमति देगा।
 - b. अपनाया यानी डिजिटल हस्ताक्षर सहित सहमति को सत्यापित करना, यदि सहमति में उल्लिखित हो ;
 - c. उनके द्वारा साझा की गई NPS सूचना पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करना
 - d. निष्पादित कार्यों के साथ सूचना साझा करने के अनुरोधों के लॉग को दर्ज करना और इस सूचना को AA तक प्रस्तुत करना।
6. CRA सहित AA संरचना के तहत कार्य करने वाली सभी विनियमित संस्थाओं द्वारा आईटी सिस्टम का निर्माण करना होगा तथा उन्हें ReBIT द्वारा प्रकाशित और समय-समय पर अपडेट किए गए तकनीकी विनिर्देशों को अपनाया होगा।
7. NBFC-AA को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी आईटी प्रणालियों में RBI द्वारा समय-समय पर जारी किए गए NBFC-AA मास्टर दिशानिर्देशों के अनुरूप अपने कार्यों को पूरा करने के लिए सभी जरूरी विशेषताएं विद्यमान हों।